कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास)
जगदलपुर, जिला–बस्तर(छ0ग0)

Email ID: bastar.dpo 84@ gmail.com Phone No.07782-222827

क्रमांक/1578/मबावि/स्था./2026–27 जगदलपुर, दिनांक 29/10/2026

–:/ वॉक इन इन्टरव्यू हेतु विज्ञापन /:–

सखी वन स्टॉप सेन्टर में रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024–25 नवा रायपुर दिनांक 01.10.2024 एवं क्रमांक/10478/मबावि/मसमि/सखी–4/2024–25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077/ दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जान है।

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर जगदलपुर, जिला–बस्तर में दैनिक कार्यो के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में) निम्नानुसार उल्लेखित कार्यो/प्रदाय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सेवा प्रदाता का चयनवॉक इन इन्टरव्यूसे किया जाना है। इस हेतु **दिनांक18/11/2026 प्रातः10:30 बजे**से पता कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर जिला बस्तर में इच्छुक आवेदक विज्ञापन अनुसार अनिवार्य समस्त दस्तावेज के साथ वॉक इन इन्टरव्यूमें उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट (http/bastar.gov.in) /महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर, जिला–बस्तर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं0	सेवा का नाम	सेवा प्रदाताओं की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवाशुल्क	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणित योग्यता एवं अनुभव	Rolrs & Responsibilitier
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा गार्ड/ नाईट गार्ड (महिला)	02 पद	11360/ प्रतिमाह (लेवल–1)	45 वर्ष	The services could be outsourced to any person who is passed **8th** from any recognized board having at least 2 years experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/state level. He/she should preferably be retired military/para-military personal.	◄ Securety Guard/Night Guard will work in shifts io provide 24 hour service at OSC. ◄ TheSecurety Guard/Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. ◄She/he would be responsibl for sefety of all capital assets, furniture and equipmwnt at OSC.

क्रमशः–02

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः–

2. आयु सीमाः–

1. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
2. आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। वॉक–इन–इंटरव्यूके समय दस्तावेज की मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतिलाना अनिवार्य है।
3. पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकरफिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
5. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यार्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों/प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
9. **वॉक इन इन्टरव्यू दिनांक को जिला कार्यालय में आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।**
10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित /सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
11. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
12. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
14. आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र जमा करेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

15. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यू के आधार पर चयन की प्रकिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
16. वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
17. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
18. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
19. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
20. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
21. उक्त विज्ञापन/नियुक्त आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।
22. अनुभव का लाभ लेने के लिये नियुक्ती आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नही होगा।
23. उपरोक्त सभी पदो पर केवल महिला अभ्यार्थियों की सेवा ली जावेगी।

3. नियुक्ति प्रक्रिया :–सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वरा किया जावें।

3.1सखी वन स्टॉ सेंटर अंतर्गत रिक्त पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे ।

3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथि जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदण्ड का निर्धारण करते हुए वॉक इन इन्टरव्यू के आधार पर प्राप्त आवेदनों के अंकिय प्रणालि के अनुसार निम्नानुसार अंक रखे जाएगें।

3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.8 वॉक इन इन्टरव्यू हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक–इन–इंटरव्यू क दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.10 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4,3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियों में वॉक–इन–इटरव्यू हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

4. नियुक्ति की अवधिः–

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपर्युक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.5 चयन के संबंध मे संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4.6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बस्तर के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट **www.bastar.gov.in**पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

29/10/26

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला– बस्तर (छ.ग.)

कमांक/1579/मबावि/स्था./2026–27 **जगदलपुर, दिनांक 29 /10/2026**

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं प्राद्योगिकी,(NIC) जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. उप संचालक, जन संपर्क कार्यालय, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेगें।

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला– बस्तर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला- बस्तर (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए। वरना करें।

१ आवेदित सेवा का नाम

२ आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में)

३ पिता / पति का नाम

४ स्थायी पता
.....

५ (पत्र व्यवहार का पता)
.....पृष्ठभाग / मो.न.....

६ जन्मतिथि (अंको में)
(शब्दो में)

७ दिनांक 01 / 01 / 2026 को
आयु

८ लिंग पुरूष / महिला

९ जाति / वर्ग (अजा / अजजा / अपिव / सामान्य) जाति..... वर्ग

१० क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ?

११ विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्ता

१२ यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या

१३ शैक्षणिक योग्यता (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्नकरें)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–बस्तर (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र मे होना चाहिए चस्पा करें।

1. आवेदित सेवा का नाम :–.....

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–.....
(अंग्रेजी में)

3. पिता / पति का नाम :–.....

4. स्थायी पता :–.....
.....

5. (पत्र व्यवहार का पता) :–.....
.....दूरभाष / मो.नं.....

6. जन्मतिथि (अंको में) :–.....
(शब्दो में) :–.....

7. दिनांक 01 / 01 / 2026 को आयु :–.....

8. लिंग पुरूष / महिला :–.....

9. जाति / वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य) जाति.....वर्ग.....

10. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ?

11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्त्ता :–.....

12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :–.....

13. शैक्षणिक योग्यता:–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्नकरें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :–.....

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–.....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूचीः–

1. जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर।
2. 5वी, 8वीं अंकसूची
3. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.....2.....3.....

4.....5.....6.....

7.....8.....9.....

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं नाम

//घोषणा पत्र//

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

एवं नाम

स्थानः–

दिनांकः–